(a) how many Mahila Courts are functioning in the country; and

(b) the total number of cases instituted and disposed of during the year ending 1994?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ: (a) As per available information, 4 Women Courts have been established in the N.C.T. of Delhi with effect from 31st August, 1994. No Mahila Court has been set up in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Himachal Pradesh, Kerala, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Madhya Pradesh, Tripura, Tamil Nadu, Sikkim and Jammu and Kashmir.

(b) The number of cases instituted/ disposed of in the Women Courts of Delhi during the year 1994 is given below:

Instituted—31 Recd. by transfer—1879 Disposed of —234

Information in respect of remaining States/Union Territories is still awaited and will be laid on the Table of the House.

न्यायालयों द्वारा मामलों का शीघ्र निपटान

737. **श्री आल मोहम्मद :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए कोई नियम अथवा कानून नहीं बनाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस संबंध में कोई नीति बनाने का विचार रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (ग) न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या का गहराई से अध्ययन करने के लिए 1989 में सरकार द्वारा उच्च न्यायालयों के तीन मुख्य न्यायमूर्तियों की एक समिति (न्यायमूर्ति मलिमथ समिति) का गठन किया गया था। समिति ने विभिन्न पहलुओं पर कई सिफारिशें की थीं जो अधिकारिता और प्रक्रिया संबंधी उपांतरणों, न्यायपालिका में सुधार, विनिर्दिष्ट प्रकार के मामलों से निपटने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त निकायों जैसे कि अधिकरणों/आयोगों का गठन, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या नियत करना और न्यायाधीशों की नियुक्तियां, अधीनस्थ न्यायपालिका में अधिक पदों का सृजन और न्यायालयों में कार्यालय उपस्करों के आधुनिकीकरण से संबंधित अनेक अन्य साधारण सिफारिशें तथा न्यायपालिका को और अधिक निधियों का आबंटन, आदि, के संबंध में हैं। इन सिफारिशों को, अन्य बातों के साथ-साथ आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सभी संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को भेज दिया गया था। इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या से यथासंभव शीघ्रता से निपटने के तरीकों और उपायों का पता लगाने के संबंध में मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों की 4 दिसम्बर, 1993 को हुई बैठक में विचार किया गया था जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री ने की थी। सम्मेलन ने उसके द्वारा अंगीकृत संकल्प में न्यायालयों/अधिकरणों में मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश की थी जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है और आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और उच्च न्यायालयों/अधिकरणों को भेज दिया है। तत्पश्चात्, ग्रामीण मुकदमेबाजी प्रशासनिक अधिकरणों में बकाया मामलों और विवादों के आनुकल्पिक समाधान की बाबत उपरोक्त संकल्प में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर विचार करने के लिए विधि मंत्रियों के तीन कार्य समूहों की बैठक हुई। विधि मंत्रियों ने कलकत्ता में नवम्ब

1994 में हुए अपने खुले अधिवेशन में दिसम्बर, 1993 के संकल्प और कार्य-सम्हों द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन किया। अधिवेशन में अंगीकृत संकल्प, आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए, सभी संबंधित प्राधिकारियों को भेज दिए गए है।

तथापि, न्यायालयो में मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए कोई विनिर्दिष्ट नियम या विधि अधिकथित नहीं की गई है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ जांच

738. **श्री आस मोहम्मद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महानिदेशक, जांच और पंजीकरण, द्वारा वर्ष-वार कितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ जांच की गई है और कितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिन कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही करने की सिफारिश की गई है, उनके मामले अभी भी एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग में लंबित है ;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान लंबित और निपटाये गये मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बहुराष्ट्रीय कंपनियों के गलत कार्यकरण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान महानिदेशक, जांच एवं पंजीकरण ने 14 मामलों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की सिफारिश की है। इनमें से 4 मामलों का पहले ही निपटान कर दिया गया है तथा शेष 10 मामले विभिन्न चरणों में विचाराधीन हैं या निर्णयाधीन हैं।

(घ) कम्पनी अधिनियम और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का संशोधन सरकार के विचाराधीन है ।

उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामले और रिक्तियां

739. **श्री अजीत जोगी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उच्चतम न्यायालय की पूर्ण संविधान पीठ के समक्ष आज तक कुल कितने दीवानी और फौजदारी के मामले लम्बित हैं;

(ख) तीन वर्षों और पांच वर्षों से अधिक अवधि के कितने मामले लम्बित हैं ;

(ग) उच्चतम न्यायालय में इस समय न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त पड़े हैं और ये पद कब से रिक्त पड़े हुए हैं ;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने पद भरे गये हैं; और

(ङ) पुराने मामले शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क), (ख) और (ङ) उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री से जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) 7-3-1995 को, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के 2 पद निम्नलिखित तारीखों से, रिक्त थे :—

1. 25-10-1994

2. 11-02-1995

(घ) पिछले तीन वर्षों (जनवरी, 1992 से मार्च, 1995 तक) के दौरान न्यायाधीशों के 13 रिक्त पद भरे गए ।